

प्रतियोगिता  
साहित्य



# भारत का संविधान

THE CONSTITUTION OF INDIA

डॉ. बी. एल. फड़िया

- आज तक (1 जनवरी 2018) हुए समस्त संवैधानिक संशोधनों का समावेश करते हुए अद्यतन
- **1050** वस्तुनिष्ठ प्रश्न (हल सहित)

# विषय सूची

अध्याय

- उद्देश्य (Preamble)

पृष्ठ

1

## भाग 1 (Part I)

### संघ और उसका राज्यक्षेत्र (THE UNION AND ITS TERRITORY)

- अनुच्छेद (Article)

1. संघ का नाम और राज्यक्षेत्र (Name and territory of the Union) .....	3
2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना (Admission or establishment of new States) .....	3
2क. [मिरसिता] (Repealed) .....	3
3. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन (Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States) .....	3
4. पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां (Laws made under Articles 2 and 3 to provide for the amendment of the First and the Fourth Schedules and supplemental, incidental and consequential matters) .....	4

## भाग 2 (Part II)

### नागरिकता (CITIZENSHIP)

5. संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता (Citizenship at the commencement of the Constitution) .....	6
6. पाकिस्तान से भारत को प्रवृत्ति करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार (Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan) .....	6
7. पाकिस्तान को प्रवृत्ति करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार (Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan) .....	6
8. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार (Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India) .....	6
9. विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना (Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign State not to be citizens) .....	7
10. नागरिकता के अधिकारों का बना रहना (Continuance of the rights of citizenship) .....	7
11. संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना (Parliament to regulate the right of citizenship by law) .....	7

## भाग 3 (Part III)

### मूल अधिकार (FUNDAMENTAL RIGHTS)

#### साधारण (GENERAL)

12. परिभाषा (Definition) .....	9
13. मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां (Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights) .....	9

#### समता का अधिकार (RIGHT TO EQUALITY)

14. विधि के समन्वय समता (Equality before law) .....	10
15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth) .....	10
16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (Equality of opportunity in matters of public employment) .....	10

## अनुच्छेद

17.	अस्पृश्यता का अन्त (Abolition of Untouchability) .....	11
18.	उपाधियों का अन्त (Abolition of titles) .....	12
स्वातन्त्र्य-अधिकार (RIGHT TO FREEDOM)		
19.	वाक्-स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण (Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.) .....	12
20.	अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (Protection in respect of conviction for offences) .....	13
21.	प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण (Protection of life and personal liberty) .....	13
21ए.	शिक्षा का अधिकार (Right to education) .....	13
•	निजता का अधिकार (Right to privacy) .....	14
22.	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (Protection against arrest and detention in certain cases) .....	14
शोषण के विरुद्ध अधिकार (RIGHT AGAINST EXPLOITATION)		
23.	मानव के दुर्ब्यापार और बलात्‌श्रम का प्रतिषेध (Prohibition of traffic in human beings and forced labour) .....	16
24.	कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध (Prohibition of employment of children in factories, etc.) .....	16
धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION)		
25.	अन्तःकरण की और धर्म के अवाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता (Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion) .....	16
26.	धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता (Freedom to manage religious affairs) .....	17
27.	किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतन्त्रता (Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion) .....	17
28.	कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतन्त्रता (Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions) .....	17
संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (CULTURAL AND EDUCATIONAL RIGHTS)		
29.	अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण (Protection of interests of minorities) .....	17
30.	शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार (Right of minorities to establish and administer educational institutions) .....	17
31.	[निरसित] (Repealed) .....	18
कुछ विधियों की व्यावृत्ति (SAVING OF CERTAIN LAWS)		
31क.	सम्पदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबन्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति (Saving of laws providing for acquisition of estates, etc.) .....	18
31ख.	कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण (Validation of certain Acts and Regulations) .....	19
31ग.	कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति (Saving of laws giving effect to certain directive principles) .....	19
31घ.	[निरसित] (Repealed.) .....	19
सांविधानिक उपचारों का अधिकार (RIGHT TO CONSTITUTIONAL REMEDIES)		
32.	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार (Remedies for enforcement of rights conferred by this part) .....	19
32क.	[निरसित] (Repealed.) .....	20
33.	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपान्तरण करने की संसद की शक्ति (Power of Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application to Forces, etc.) .....	20
34.	जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन (Restriction on rights conferred by this Part while martial law is in force in any area) .....	20

## अनुच्छेद

35. इस भाग के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए विधान (Legislation to give effect to the provisions of this Part) .....	पृष्ठ 20
--	-------------

## भाग 4 (Part IV)

## राज्य की नीति के निर्देशक तत्व (DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY)

36. परिभाषा (Definition) .....	22
37. इस भाग में अन्तर्विल तत्वों का लागू होना (Application of the principles contained in this Part) .....	22
38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक बावस्था बनाएगा (State to secure a socio-economic order for the promotion of welfare of the people) .....	22
39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व (Certain principles of policy to be followed by the State) .....	23
39क. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (Equal justice and free legal aid) .....	23
40. ग्राम पंचायतों का संगठन (Organisation of Village Panchayats) .....	23
41. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार (Right to work, to education and to public assistance in certain cases) .....	23
42. काम की न्यायसंगत और मानवोंवित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध (Provision for just and humane conditions of work and maternity relief) .....	23
43. कर्मकारों के लिए निर्बाह मजदूरी आदि (Living wages, etc., for workers) .....	23
43क. उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मकारों का भाग लेना (Participation of workers in management of industries) .....	23
43ख. सहकारी समितियों का पेशेवर प्रबन्धन (Professional management of co-operative Societies) .....	23
44. नागरिकों के लिए एकसमान सिविल संहिता (Uniform civil code for the citizens) .....	24
45. बालकों की शैशवावस्था में स्वास्थ्य परिरक्षण एवं छ: वर्ष की आयु से नीचे के सभी बालकों की शिक्षा का प्रावधान (Health Preservation in childhood and Provision for free and compulsory education for children) .....	24
46. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि (Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections) .....	24
47. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य (Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health) .....	24
48. कृषि और पशुपालन का संगठन (Organisation of agriculture and animal husbandry) .....	24
48क. पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा बन्य जीवों की रक्षा (Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life) .....	24
49. राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण (Protection of monuments and places and objects of national importance) .....	24
50. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण (Separation of judiciary from executive) .....	25
51. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि (Promotion of international peace and security) .....	25

## भाग 4क (Part IVA)

## मूल कर्तव्य (FUNDAMENTAL DUTIES)

51क. मूल कर्तव्य (Fundamental duties) .....	26
---	----

## भाग 5 (Part V)

## संघ (THE UNION)

## अध्याय 1—कार्यपालिका (THE EXECUTIVE)

## राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति (THE PRESIDENT AND THE VICE PRESIDENT)

52. भारत का राष्ट्रपति (The President of India) .....	27
---	----

## कानूनों

53. संघ की कार्यपालिका शक्ति (Executive power of the Union) .....	27
54. राष्ट्रपति का नियमित (Election of President) .....	27
55. राष्ट्रपति के नियोजन की रीति (Manner of election of President) .....	28
56. राष्ट्रपति की पदावधि (Term of office of President) .....	28
57. मूलनियोजन के लिए योग्यता (Eligibility for re-election) .....	28
58. राष्ट्रपति नियमित होने के लिए योग्यताएँ (Qualifications for election as President) .....	29
59. राष्ट्रपति के घर के लिए शर्तें (Conditions of President's office) .....	29
60. राष्ट्रपति द्वारा शपथ या ग्रन्तिज्ञान (Oath or affirmation by the President) .....	29
61. राष्ट्रपति पर महाभियोग कराने की प्रक्रिया (Procedure for impeachment of the President) .....	29
62. राष्ट्रपति के घर में नियुक्त की जाने के लिए नियोजन कराने का समय और आकारिक शिक्षा की जाने के लिए नियमित वर्षिकी की पदावधि (Time of holding election to fill vacancy in the office of President and the term of office of person elected to fill casual vacancy) .....	30
63. भारत का उपराष्ट्रपति (The Vice-President of India) .....	30
64. उपराष्ट्रपति का नायकाना का घरेलू सभापति होना (The Vice-President to be ex officio Chairman of the Council of States) .....	30
65. राष्ट्रपति के घर में आकारिक शिक्षा के दौरान या उसकी बहुपरिस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कुत्यों का नियंत्रण (The Vice-President to act as President or to discharge his functions during casual vacancies in the office, or during the absence of President) .....	30
66. उपराष्ट्रपति का नियमित (Election of Vice-President) .....	31
67. उपराष्ट्रपति की पदावधि (Term of office of Vice-President) .....	31
68. उपराष्ट्रपति के घर में नियुक्त की जाने के लिए नियोजन कराने का समय और आकारिक शिक्षा की जाने के लिए नियमित वर्षिकी की पदावधि (Time of holding election to fill vacancy in the office of Vice-President and the term of office of person elected to fill casual vacancy) .....	31
69. उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या ग्रन्तिज्ञान (Oath or affirmation by the Vice-President) .....	31
70. अन्य आकारिकताओं ने राष्ट्रपति के कुत्यों का नियंत्रण (Discharge of President's functions in other contingencies) .....	31
71. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के नियोजन से सम्बन्धित या संबंधित विषय (Matters relating to, or connected with, the election of a President or Vice-President) .....	31
72. कठा जादि की ओर कुछ नामों में राष्ट्रपति के नियन्त्रण, परीक्षा या लायकता की राष्ट्रपति की शक्ति (Power of President to grant pardons, etc. and to suspend, remit or commute sentences in certain cases) .....	32
73. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (Extent of executive power of the Union) .....	32

## मन्त्रिमण्डप (COUNCIL OF MINISTERS)

74. राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मन्त्रिमण्डप (Council of Ministers to aid and advise President) .....	32
75. मन्त्रियों के बीच में अन्य उपचरण (Other provisions as to Ministers) .....	33

## वायर का वकील-जनरल (THE ATTORNEY GENERAL FOR INDIA)

76. वायर का वकील-जनरल (Attorney-General for India) .....	34
--	----

## प्रधानमंत्री कार्य का सचालन (CONDUCT OF GOVERNMENT BUSINESS)

77. भारत सरकार के कार्य का सचालन (Conduct of business of the Government of India) .....	34
78. राष्ट्रपति की वायरकारी देने जादि के सम्बन्ध में व्यवायासाचारी के कार्य (Duties of Prime Minister with respect to furnishing of information to the President, etc) .....	34

## अध्याय 2—संसद (PARLIAMENT)

३८

## साधारण (GENERAL)

79. संसद का गठन (Constitution of Parliament) .....	35
80. राज्य सभा की संरचना (Composition of the Council of States) .....	35
81. लोकसभा की संरचना (Composition of the House of the People) .....	35
82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात् युक्तिसम्बोधन (Readjustment after each census) .....	35
83. संसद के सदनों की अवधि (Duration of Houses of Parliament) .....	36
84. संसद की सदस्यता के लिए अहंता (Qualification for membership of Parliament) .....	36
85. संसद के सत्र, सत्रावधान और विषय (Sessions of Parliament, prorogation and dissolution) .....	36
86. सदनों में अधिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार (Right of President to address and send messages to Houses) .....	36
87. राष्ट्रपति का विशेष अधिभाषण (Special address by the President) .....	37
88. सदनों के बारे में मन्त्रियों और व्यापार विभागी के अधिकार (Rights of Ministers and Attorney-General with respect to Houses) .....	37

## संसद के अधिकारी (OFFICERS OF PARLIAMENT)

89. राज्यसभा का सभापति और उपसभापति (The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States) .....	39
90. उपसभापति का पद रिक्त होना, पदलापन और पद से हटाया जाना (Vacation and resignation of, and removal from, the office of Deputy Chairman) .....	39
91. सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के लिए ऐसे कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति (Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chairman) .....	39
92. जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका वीलसीन न होना (The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration) .....	39
93. लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People) .....	39
94. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदलापन और पद से हटाया जाना (Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker) .....	39
95. अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के लिए ऐसे कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति (Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker) .....	40
96. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका वीलसीन न होना (The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration) .....	40
97. सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते (Salaries and allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker) .....	40
98. संसद का सचिवालय (Secretariat of Parliament) .....	40

## कार्य संचालन (CONDUCT OF BUSINESS)

99. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or affirmation by members) .....	40
100. सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और याप्ति (Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum) .....	41

## सदस्यों की निरहंताएँ (DISQUALIFICATIONS OF MEMBERS)

101. स्थानों का रिक्त होना (Vacation of seats) .....	41
102. सदस्यता के लिए निरहंताएँ (Disqualifications for membership) .....	41
103. सदस्यों की निरहंताओं से सम्बन्धित प्रश्नों पर विविच्छय (Decision on questions as to disqualifications of members) .....	42

## अनुच्छेद

पृष्ठ

104. अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहित न होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति (Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under Article 99 or when not qualified or when disqualified) ..... 42

**संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां**  
(POWERS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF PARLIAMENT AND ITS MEMBERS)

105. संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि (Powers, privileges, etc. of the Houses of Parliament and of the members and committees thereof) ..... 42  
106. सदस्यों के वेतन और भत्ते (Salaries and allowances of members) ..... 42

**विधायी प्रक्रिया (LEGISLATIVE PROCEDURE)**

107. विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध (Provisions as to introduction and passing of Bills) ..... 43  
108. कुष्ठ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint sitting of both Houses in certain cases) ..... 43  
109. धन विधेयकों के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया (Special procedure in respect of Money Bills) ..... 44  
110. 'धन विधेयक' की परिभाषा (Definition of 'Money Bills') ..... 44  
111. विधेयकों पर अनुमति (Assent to Bills) ..... 45

**वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया (PROCEDURE IN FINANCIAL MATTERS)**

112. वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual financial statement) ..... 45  
113. संसद में प्रावक्कलनों के सम्बन्ध में प्रक्रिया (Procedure in Parliament with respect to estimates) ..... 45  
114. विनियोग विधेयक (Appropriation Bills) ..... 46  
115. अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान (Supplementary, additional or excess grants) ..... 46  
116. लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान (Votes on account, votes of credit and exceptional grants) ..... 46  
117. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबन्ध (Special provisions as to financial Bills) ..... 47

**साधारणतया प्रक्रिया (PROCEDURE GENERALLY)**

118. प्रक्रिया के नियम (Rules of procedure) ..... 47  
119. संसद में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन (Regulation by law of procedure in Parliament in relation to financial business) ..... 47  
120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा (Language to be used in Parliament) ..... 48  
121. संसद में चर्चा पर निर्वधन (Restriction on discussion in Parliament) ..... 48  
122. न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना (Courts not to inquire into proceedings of Parliament) ..... 48

**अध्याय 3—राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां**

## (LEGISLATIVE POWERS OF THE PRESIDENT)

123. संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति (Power of President to promulgate Ordinances during recess of Parliament) ..... 49

**अध्याय 4—संघ की न्यायपालिका**

## (THE UNION JUDICIARY)

124. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन (Establishment and constitution of Supreme Court) ..... 50  
124क. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन ..... 50  
124ख. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कर्तव्य ..... 50  
124ग. संसद की न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति ..... 50  
● राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से सम्बन्धित 99वां संवैधानिक संशोधन असंवैधानिक घोषित ..... 50  
125. न्यायाधीशों के वेतन आदि (Salaries, etc., of Judges) ..... 51

## अनुच्छेद

	पृष्ठ
126. कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति (Appointment of acting Chief Justice) .....	51
127. तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Ad hoc Judges) .....	51
128. उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति (Attendance of retired Judges in sittings of the Supreme Court) .....	52
129. उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना (Supreme Court to be a court of record) .....	52
130. उच्चतम न्यायालय का स्थान (Seat of Supreme Court) .....	52
131. उच्चतम न्यायालय की आरभिक अधिकारिता (Original jurisdiction of the Supreme Court) .....	52
131क. [निरसित] (Repealed.) .....	52
132. कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय को अपीली अधिकारिता (Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts in certain cases) .....	52
133. उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से सम्बन्धित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता (Appe- llate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts in regard to civil matters) .....	53
134. दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता (Appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters) .....	53
134क. उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र (Certificate for appeal to the Supreme Court) .....	53
135. विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना (Jurisdiction and powers of the Federal Court under existing law to be exercisable by the Supreme Court) .....	53
136. अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत (Special leave to appeal by the Supreme Court) .....	53
137. निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन (Review of judgments or orders by the Supreme Court) .....	54
138. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि (Enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court) .....	54
139. कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना (Conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs) .....	54
139क. कुछ मामलों का अन्तरण (Transfer of certain cases) .....	54
140. उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां (Ancillary powers of Supreme Court) .....	54
141. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवश्यक होना (Law declared by Supreme Court to be binding on all Courts) .....	55
142. उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश (Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery, etc.) ..	55
143. उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति (Power of President to consult Supreme Court) .....	55
144. सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना (Civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court) .....	56
144क. [निरसित] (Repealed.) .....	56
145. न्यायालय के नियम आदि (Rules of Court, etc) .....	56
146. उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय (Officers and servants and the expenses of the Supreme Court) .....	57
147. निर्वचन (Interpretation) .....	57
<b>अध्याय 5—भारत का नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक</b> <b>(COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA)</b>	57
148. भारत का नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India) .....	58
149. नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां (Duties and powers of the Comptroller and Auditor-General) .....	58
150. संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप (Form of accounts of the Union and of the States) .....	58
151. संपरीक्षा प्रतिवेदन (Audit reports) .....	58

## भाग 6 (Part VI)

## राज्य (THE STATES)

## अध्याय 1—साधारण (GENERAL)

152. परिभाषा (Definition) .....	59
अध्याय 2—कार्यपालिका (THE EXECUTIVE) .....	

## राज्यपाल (THE GOVERNOR)

153. राज्यों के राज्यपाल (Governors of States) .....	59
154. राज्य की कार्यपालिका शक्ति (Executive power of State) .....	59
155. राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Governor) .....	59
156. राज्यपाल की पदावधि (Term of office of Governor) .....	60
157. राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहताएं (Qualifications for appointment as Governor) .....	60
158. राज्यपाल के पद के लिए शर्तें (Conditions of Governor's office) .....	61
159. राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or affirmation by the Governor) .....	61
160. कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन (Discharge of the functions of the Governor in certain contingencies) .....	61
161. क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण की राज्यपाल की शक्ति (Power of Governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases) .....	61
162. राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (Extent of executive power of State) .....	61

## मन्त्रिपरिषद (COUNCIL OF MINISTERS)

163. राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मन्त्रिपरिषद (Council of Ministers to aid and advise Governor) .....	62
164. मन्त्रियों के बारे में अन्य उपबन्ध (Other provisions as to Ministers) .....	62

## राज्य का महाधिवक्ता (THE ADVOCATE GENERAL FOR THE STATE)

165. राज्य का महाधिवक्ता (Advocate-General for the State) .....	63
---	----

## सरकारी कार्य का संचालन (CONDUCT OF GOVERNMENT BUSINESS)

166. राज्य की सरकार के कार्य का संचालन (Conduct of business of the Government of a State) .....	63
167. राज्यपाल को जानकारी देने आदि के सम्बन्ध में मुख्यमन्त्री के कर्तव्य (Duties of Chief Minister with respect to furnishing of information to Governor, etc.) .....	63

## अध्याय 3—राज्य का विधानमण्डल (THE STATE LEGISLATURE)

## साधारण (GENERAL)

168. राज्यों के विधानमण्डलों का गठन (Constitution of Legislatures in States) .....	64
169. राज्यों में विधानपरिषदों का उत्सादन या सृजन (Abolition or creation of Legislative Councils in States) .....	64
170. विधानसभाओं की संरचना (Composition of the Legislative Assemblies) .....	64
171. विधानपरिषदों की संरचना (Composition of the Legislative Councils) .....	65
172. राज्यों के विधानमण्डलों की अवधि (Duration of State Legislatures) .....	66
173. राज्य के विधानमण्डल की सदस्यता के लिए अहता (Qualification for membership of the State Legislature) .....	66
174. राज्य के विधानमण्डल के सत्र, सत्रावसान और विघटन (Sessions of the State Legislature, prorogation and dissolution) .....	66

अनुच्छेद		पृष्ठ
175. सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको सन्देश भेजने का राज्यपाल का अधिकार (Right of Governor to address and send messages to the House or Houses).....	66	पृष्ठ
176. राज्यपाल का विशेष अभिभाषण (Special address by the Governor).....	67	
177. सदनों के बारे में मनियों और महाप्रिवक्ता के अधिकार (Rights of Ministers and Advocate-General with respect to Houses) .....	67	
<b>राज्य के विधानमण्डल के अधिकारी</b> <b>(THE OFFICERS OF THE STATE LEGISLATURE)</b>		
178. विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly).....	67	
179. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना (Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker).....	67	
180. अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति (Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker) .....	67	
181. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना (The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration) .....	67	
182. विधानपरिषद् का सभापति और उपसभापति (The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council) .....	68	
183. सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना (Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Chairman and Deputy Chairman) .....	68	
184. सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति (Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as Chairman) .....	68	
185. जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना (The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from the office is under consideration) .....	68	
186. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते (Salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman) .....	68	
187. राज्य के विधानमण्डल का सचिवालय (Secretariat of State Legislature) .....	69	
<b>कार्य संचालन (CONDUCT OF BUSINESS)</b>		
188. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or affirmation by members) .....	69	
189. सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति (Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum) .....	69	
<b>सदस्यों की निरहताएं (DISQUALIFICATIONS OF MEMBERS)</b>		
190. स्थानों का रिक्त होना (Vacation of seats).....	69	
191. सदस्यता के लिए निरहताएं (Disqualification for membership) .....	70	
192. सदस्यों की निरहताओं से सम्बन्धित प्रश्नों पर विनिश्चय (Decision on questions as to disqualifications of members) .....	70	
193. अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहित न होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति (Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under Article 188 or when not qualified or when disqualified) .....	70	
<b>राज्यों के विधानमण्डलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (POWERS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF STATE LEGISLATURES AND THEIR MEMBERS)</b>		
194. विधानमण्डलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि (Powers, privileges, etc., of the Houses of Legislatures and of the members and committees thereof).....	71	

## अनुच्छेद

195. सदस्यों के वेतन और भत्ते (Salaries and allowances of members) .....	71
<b>विधायी प्रक्रिया (LEGISLATIVE PROCEDURE)</b>	
196. विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध (Provisions as to introduction and passing of Bills) .....	71
197. धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधानपरिषद की शक्तियों पर निर्बंधन (Restriction on powers of Legislative Council as to Bills other than Money Bills) .....	71
198. धन विधेयकों के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया (Special procedure in respect of Money Bills) .....	72
199. 'धन विधेयक' की परिभाषा (Definition of 'Money Bills') .....	72
200. विधेयकों पर अनुमति (Assent to Bills) .....	73
201. विचार के लिए आरक्षित विधेयक (Bills reserved for consideration) .....	73
<b>वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया (PROCEDURE IN FINANCIAL MATTERS)</b>	
202. वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual financial statement) .....	74
203. विधानमण्डलों में प्राक्कलनों के सम्बन्ध में प्रक्रिया (Procedure in Legislature with respect to estimates) .....	74
204. विनियोग विधेयक (Appropriation Bills) .....	74
205. अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान (Supplementary, additional or excess grants) .....	75
206. लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान (Votes on account, votes of credit and exceptional grants) .....	75
207. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबन्ध (Special provisions as to financial Bills) .....	75
<b>साधारणतया प्रक्रिया (PROCEDURE GENERALLY)</b>	
208. प्रक्रिया के नियम (Rules of procedure) .....	76
209. राज्य के विधानमण्डल में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन (Regulation by law of procedure in the Legislature of the State in relation to financial business) .....	76
210. विधानमण्डल में प्रयोग की जाने वाली भाषा (Language to be used in the Legislature) .....	76
211. विधानमण्डल में चर्चा पर निर्बंधन (Restriction on discussion in the Legislature) .....	76
212. न्यायालयों द्वारा विधानमण्डल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना (Courts not to inquire into proceedings of the Legislature) .....	76
<b>अध्याय 4—राज्यपाल की विधायी शक्ति</b> (LEGISLATIVE POWER OF THE GOVERNOR)	
213. विधानमण्डल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति (Power of Governor to promulgate Ordinances during recess of Legislature) .....	77
<b>अध्याय 5—राज्यों के उच्च न्यायालय</b> (THE HIGH COURTS IN THE STATES)	
214. राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (High Courts for States) .....	78
215. उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना (High Courts to be courts of record) .....	78
216. उच्च न्यायालयों का गठन (Constitution of High Courts) .....	78
217. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें (Appointment and conditions of the office of a Judge of a High Court) .....	78
218. उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित कुछ उपबन्धों का उच्च न्यायालयों को लागू होना (Application of certain provisions relating to Supreme Court to High Courts) .....	78
219. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or affirmation by Judges of High Courts) .....	79
220. स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विविच व्यवसाय पर निर्बंधन (Restriction on practice after being a permanent Judge) .....	79

अनुच्छेद	पृष्ठ
221. न्यायाधीशों के वेतन आदि (Salaries, etc., of Judges) .....	79
222. किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अन्तरण (Transfer of a Judge from one High Court to another) .....	79
223. कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति (Appointment of acting Chief Justice) .....	80
224. अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of additional and acting Judges) .....	80
224क. उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of retired Judges at sittings of High Courts) .....	80
225. विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता (Jurisdiction of existing High Courts) .....	80
226. कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति (Power of High Courts to issue certain writs) .....	80
226क. [निरसिता] (Repealed) .....	81
227. सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति (Power of superintendence over all courts by the High Court) .....	81
228. कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अन्तरण (Transfer of certain cases to High Court) .....	81
228क. [निरसिता] (Repealed) .....	82
229. उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय (Officers and servants and the expenses of High Courts) .....	82
230. उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार (Extension of jurisdiction of High Courts to Union Territories) .....	82
231. दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना (Establishment of a common High Court for two or more States) .....	82
232. [निरसिता] (Repealed) .....	83
<b>अध्याय 6—अधीनस्थ न्यायालय (SUBORDINATE COURTS)</b>	
233. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of district judges) .....	83
233क. कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण (Validation of appointments of, and judgments, etc. delivered by certain district judges) .....	83
234. न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती (Recruitment of persons other than district judges to the judicial service) .....	84
235. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियन्त्रण (Control over subordinate courts) .....	84
236. निर्वचन (Interpretation) .....	84
237. कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपवन्धों का लागू होना (Application of the provisions of this Chapter to certain class or classes of magistrates) .....	84
<b>भाग 7 (Part VII)</b>	
<b>पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य</b>	
(THE STATES IN PART B OF THE FIRST SCHEDULE)	
238. [निरसिता] (Repealed) .....	84
<b>भाग 8 (Part VIII)</b>	
<b>संघ राज्यक्षेत्र (THE UNION TERRORIES)</b>	
239. संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन (Administration of Union Territories) .....	85
239क. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमण्डलों या मन्त्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन (Creation of local Legislatures or Council of Ministers or both for certain Union Territories) .....	85
239कक. दिल्ली के सम्बन्ध में विशेष उपवन्ध (Special provisions with respect to Delhi) .....	86
239कख. संविधानिक तत्त्व के विफल हो जाने की दशा में उपवन्ध (Provision in case of failure of constitutional machinery) .....	87

## अनुच्छेद

239ख.	विधानमण्डल के विश्रान्तिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति (Power of administrator to promulgate Ordinances during recess of Legislature) .....	87
240.	कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति (Power of President to make regulations for certain Union Territories) .....	88
241.	संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय (High Courts for Union Territories) .....	88
242.	[निरसित] (Repealed.) .....	88

## भाग 9 (Part IX)

## पंचायतें (THE PANCHAYATS)

243.	परिभाषाएं (Definitions) .....	90
243क.	ग्रामसभा (Gram Sabha) .....	90
243ख.	पंचायतों का गठन (Constitution of Panchayats) .....	90
243ग.	पंचायतों की संरचना (Composition of Panchayats) .....	90
243घ.	स्थानों का आरक्षण (Reservation of seats) .....	91
243ङ.	पंचायतों की अवधि, आदि (Duration of Panchayats, etc) .....	91
243च.	सदस्यता के लिए निरहताएं (Disqualifications for membership) .....	91
243छ.	पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व (Powers, authority and responsibilities of Panchayats) .....	91
243ज.	पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां (Powers to impose taxes by, and Funds of, the Panchayats) .....	92
243झ.	वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन (Constitution of Finance Commission to review financial position) .....	92
243ञ.	पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा (Audit of accounts of Panchayats) .....	93
243ट.	पंचायतों के लिए निर्वाचन (Elections to the Panchayats) .....	93
243ट.	संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना (Application to Union Territories) .....	93
243इ.	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना (Part not to apply to certain areas) .....	93
243इ.	विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना (Continuance of existing laws and Panchayats) .....	94
243ण.	निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन (Bar to interference by courts in electoral matters) .....	94

## भाग 9क (Part IXA)

## नगरपालिकाएं (THE MUNICIPALITIES)

243न.	परिभाषाएं (Definitions) .....	95
243थ.	नगरपालिकाओं का गठन (Constitution of Municipalities) .....	95
243द.	नगरपालिकाओं की संरचना (Composition of Municipalities) .....	96
243घ.	वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना (Constitution and composition of Wards Committees, etc.) .....	96
243न.	स्थानों का आरक्षण (Reservation of seats) .....	96
243प.	नगरपालिकाओं की अवधि, आदि (Duration of Municipalities, etc.) .....	97
243फ.	सदस्यता के लिए निरहताएं (Disqualifications of membership) .....	97
243च.	नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व (Powers, authority and responsibilities of Municipalities, etc.) .....	97

अनुच्छेद	पृष्ठ
243भ. नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां (Power to impose taxes by, and Funds of, the Municipalities) .....	98
243म. वित्त आयोग (Finance Commission) .....	98
243य. नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा (Audit of accounts of Municipalities) .....	98
243यक. नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन (Elections to the Municipalities) .....	98
243यख. संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना (Application to Union Territories) .....	98
243यग. इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना (Part not to apply to certain areas) .....	99
243यघ. जिला योजना के लिए समिति (Committee for district planning) .....	99
243यड. महानगर योजना के लिए समिति (Committee for Metropolitan planning) .....	99
243यच. विधामन विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना (Continuance of existing laws and Municipalities) .....	100
243यछ. निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन (Bar to interference by courts in electoral matters) .....	100

**भाग 9ख (Part IXB)**  
**सहकारी सोसाइटियां**  
(THE COOPERATIVE SOCIETIES)

243यज. सहकारी सोसाइटियां—परिभाषाएं .....	101
243यझ. सहकारी सोसाइटियों का निगमन .....	102
243यञ्ज. बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि .....	102
243यट. बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन .....	102
243यठ. बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अन्तरिम प्रवन्ध .....	102
243यड. सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा .....	103
243यढ. साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना .....	103
243यण. सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार .....	103
243यत. विवरणियां .....	103
243यथ. अपराध और शास्तियां .....	104
243यद. बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना .....	104
243यध. संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना .....	104
243यन. विधमान विधियों का जारी रहना .....	104

**भाग 10 (Part X)**  
**अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र**  
(THE SCHEDULED AND TRIBAL AREAS)

244. अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन (Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas) .....	105
244क. असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमण्डल या मन्त्रिपरिषद् का या दोनों का सृजन (Formation of an autonomous State comprising certain tribal areas in Assam and creation of local Legislature or Council of Ministers or both therefor) .....	105

**भाग 11 (Part XI)**  
**संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध**  
**(RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE STATES)**

**अध्याय 1—विधायी सम्बन्ध (LEGISLATIVE RELATIONS)**

**विधायी शक्तियों का वितरण (DISTRIBUTION OF LEGISLATIVE POWERS)**

245. संसद द्वारा और राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार (Extent of laws made by Parliament and by the Legislatures of States) .....	107
246. संसद द्वारा और राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषयवस्तु (Subject-matter of laws made by Parliament and by the Legislatures of States) .....	107
246क. माल व सेवाकर के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध (Special Provisions regarding Goods and Service Tax) .	107
247. कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने की संसद की शक्ति (Power of Parliament to provide for the establishment of certain additional courts) .....	108
248. अवशिष्ट विधायी शक्तियां (Residuary powers of legislation).....	108
249. राज्य सूची में के विषय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति (Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest).....	108
250. यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद की शक्ति (Power of Parliament to legislate with respect to any matter in the State List if a Proclamation of Emergency is in operation).....	108
251. संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति (Inconsistency between laws made by Parliament under Articles 249 and 250 and laws made by the Legislatures of States) .....	109
252. दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना (Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State) .....	109
253. अन्तर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान (Legislation for giving effect to international agreements) .....	109
254. संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति (Inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Legislatures of States) .....	109
255. सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना (Requirements as to recommendations and previous sanctions to be regarded as matters of procedure only) ....	109

**अध्याय 2—प्रशासनिक सम्बन्ध (ADMINISTRATIVE RELATIONS)**

**साधारण (GENERAL)**

256. राज्यों की और संघ की वाध्यता (Obligation of States and the Union) .....	110
257. कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियन्त्रण (Control of the Union over States in certain cases) .....	110
257क. [निरसित] (Repealed.) .....	110
258. कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति (Power of the Union to confer powers, etc., on States in certain cases) .....	110
258क. संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति (Power of the States to entrust functions to the Union)...	111
259. [निरसित] (Repealed.) .....	111
260. भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में संघ की अधिकारिता (Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India) .....	111
261. सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां (Public acts, records and judicial proceedings) .....	111

**जल सम्बन्धी विवाद (DISPUTES RELATING TO WATERS)**

262. अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल सम्बन्धी विवादों का न्यायनिर्णयन (Adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers or river valleys) .....	111
---	-----

## राज्यों के बीच समन्वय (CO-ORDINATION BETWEEN STATES)

263. अन्तर्राज्य परिषद के सम्बन्ध में उपबन्ध (Provisions with respect to an Inter-State Council).....

111

## भाग 12 (Part XII)

## वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद

(FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS)

## अध्याय 1—वित्त (FINANCE)

## साधारण (GENERAL)

264. निर्वचन (Interpretation) .....	113
265. विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना (Taxes not to be imposed save by authority of law) .....	113
266. भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोक लेखे (Consolidated Funds and public accounts of India and of the States).....	113
267. आकस्मिकता निधि (Contingency Fund).....	113

## संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण

## (DISTRIBUTION OF REVENUES BETWEEN THE UNION AND THE STATES)

268. संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क (Duties levied by the Union but collected and appropriated by the States) .....	114
268क. संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले और संघ एवं राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाला सेवा कर (Service Tax levied by Union and collected and appropriated by the Union and the States) .....	114
269. संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर (Taxes levied and collected by the Union but assigned to the States) .....	114
269क. अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवाकर का उद्ग्रहण और संग्रहण .....	114
270. संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर (Taxes levied and collected by the Union and distributed between the Union and the States) .....	115
271. कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार (Surcharge on certain duties and taxes for purposes of the Union) .....	115
272. कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे (Taxes which are levied and collected by the Union and may be distributed between the Union and the States) .....	115
273. जूट पर और जूट उत्पादों पर नियात शुल्क के स्थान पर अनुदान (Grants in lieu of export duty on jute and jute products) .....	116
274. ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा (Prior recommendation of President required to Bills affecting taxation in which States are interested) .....	116
275. कुछ राज्यों को संघ से अनुदान (Grants from the Union to certain States) .....	116
276. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (Taxes on professions, trades, callings and employments).....	117
277. व्यावृत्ति (Savings) .....	117
278. [निरसित] (Repealed.) .....	117
279. 'शुद्ध आगम' आदि की गणना (Calculation of 'net proceeds', etc.) .....	117
279क. माल और सेवाकर परिषद् .....	117
280. वित्त आयोग (Finance Commission) .....	119
281. वित्त आयोग की सिफारिशें (Recommendations of the Finance Commission) .....	119

## विविध वित्तीय उपबन्ध (MISCELLANEOUS FINANCIAL PROVISIONS)

282. संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय (Expenditure defrayable by the Union or a State out of its revenues) .....	120
--	-----

## अनुच्छेद

283. संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि (Custody, etc. of Consolidated Funds, Contingency Funds and moneys credited to the public accounts) .....	120
284. लोकसेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा (Custody of suitors' deposits and other moneys received by public servants and courts) .....	120
285. संघ की सम्पत्ति को राज्य के कराधान से छूट (Exemption of property of the Union from State taxation) .....	121
286. माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्वधन (Restrictions as to imposition of tax on the sale or purchase of goods) .....	121
287. विद्युत पर करों से छूट (Exemption from taxes on electricity) .....	121
288. जल या विद्युत के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट (Exemption from taxation by States in respect of water or electricity in certain cases) .....	121
289. राज्यों की सम्पत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट (Exemption of property and income of a State from Union taxation) .....	121
290. कुछ व्ययों और पेंशनों के सम्बन्ध में समायोजन (Adjustment in respect of certain expenses and pensions) .....	121
290क. कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय (Annual payment to certain Devaswom Funds) .....	122
291. [निरसिता] (Repealed.) .....	122

## अध्याय 2—उधार लेना (BORROWING)

292. भारत सरकार द्वारा उधार लेना (Borrowing by the Government of India) .....	122
293. राज्यों द्वारा उधार लेना Borrowing by States.....	122

अध्याय 3—सम्पत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद  
(PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS)

294. कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार (Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in certain cases) .....	123
295. अन्य दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार (Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in other cases) .....	123
296. राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोट्रॉफूट सम्पत्ति (Property accruing by escheat or lapse or as bona vacantia) .....	124
297. राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड या महाद्वीपीय मण्डल भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के सम्पत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना (Things of value within territorial waters or continental shelf and resources of the exclusive economic zone to vest in the Union) .....	124
298. व्यापार करने, आदि की शक्ति (Power to carry on trade, etc.) .....	124
299. संविदाएं (Contracts) .....	124
300. वाद और कार्यवाहियां (Suits and proceedings) .....	124

## अध्याय 4—सम्पत्ति का अधिकार (RIGHT TO PROPERTY)

300क. विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को सम्पत्ति से वंचित न किया जाना (Persons not to be deprived of property save by authority of law) .....	125
--	-----

## भाग 13 (Part XIII)

## भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

## (TRADE, COMMERCE AND INTERCOURSE WITHIN THE TERRITORY OF INDIA)

301. व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता (Freedom of trade, commerce and intercourse) .....	125
302. व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्वधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति (Power of Parliament to impose restrictions on trade, commerce and intercourse) .....	125
303. व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्वधन (Restrictions on the legislative powers of the Union and of the States with regard to trade and commerce) .....	126

## अनुच्छेद

304. राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समाजम् पर नियंत्रण (Restrictions on trade, commerce and intercourse among States) .....	126
305. विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपचल करने वाली विधियों की बानुमानि (Saving of existing law and laws providing for State monopolies) .....	127
306. [निरासिता] (Repeated.) .....	127
307. अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कारबाहित करने के लिए प्रधिकारी की नियुक्ति (Appointment of authority for carrying out the purposes of Articles 301 to 304) .....	127

## भाग 14 (Part XIV)

## संघ और राज्यों के अधीन सेवा

(SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES)

## अध्याय 1—सेवाएँ (SERVICES)

308. नियंत्रण (Interpretation) .....	128
309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (Recruitment and conditions of service of persons serving the Union or a State) .....	128
310. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि (Tenure of office of persons serving the Union or a State) .....	128
311. संघ या राज्य के अधीन सिविल ईसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या शक्ति में अवृत्त किया जाना (Dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the Union or a State) .....	129
312. अखिल भारतीय सेवाएँ (All India services) .....	129
312क. कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहित करने की संसद की शक्ति (Power of Parliament to vary or revoke conditions of service of officers of certain services) .....	130
313. संक्रमणकालीन उपचल (Transitional provisions) .....	130
314. [निरासिता] (Repeated.) .....	130

## अध्याय 2—लोक सेवा आयोग

(PUBLIC SERVICE COMMISSIONS)

315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (Public Service Commissions for the Union and for the States) .....	131
316. सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि (Appointment and term of office of members) .....	131
317. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलम्बित किया जाना (Removal and suspension of a member of a Public Service Commission) .....	131
318. आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति (Power to make regulations as to conditions of service of members and staff of the Commission) .....	132
319. आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के सम्बन्ध में प्रतिवेद (Prohibition as to the holding of offices by members of Commission on ceasing to be such members) .....	132
320. लोक सेवा आयोग के कृत्य (Functions of Public Service Commissions) .....	132
321. लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति (Power to extend functions of Public Service Commissions) .....	133
322. लोक सेवा आयोगों के व्यय (Expenses of Public Service Commissions) .....	133
323. लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन (Reports of Public Service Commissions) .....	133

## भाग 14क (Part XIV A)

## अधिकरण (TRIBUNALS)

323क. प्रशासनिक अधिकरण (Administrative tribunals) .....	134
323खु. अन्य विषयों के लिए अधिकरण (Tribunals for other matters) .....	135

## भाग 15 (Part XV)

## निर्वाचन (ELECTIONS)

324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना (Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission) .....	137
325. धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपाप्त न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना (No person to be ineligible for inclusion in, or to claim to be included in a special, electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex) .....	138
326. लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना (Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage) .....	139
327. विधानमण्डलों के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की संसद की शक्ति (Power of Parliament to make provision with respect to elections to Legislatures) .....	139
328. किसी राज्य के विधानमण्डल के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की उस विधानमण्डल की शक्ति (Power of Legislature of a State to make provision with respect to elections to such Legislature) .....	139
329. निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन (Bar to interference by courts in electoral matters) .....	139
329क. [निरसित] (Repealed.) .....	139

## भाग 16 (Part XVI)

## कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

## (SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES)

330. लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण (Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People) ..	140
331. लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व (Representation of the Anglo-Indian community in the House of the People) .....	140
332. राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण (Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States) .....	140
333. राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व (Representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of the States) ..	141
334. स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का पचास वर्ष के पश्चात् न रहना (Reservation of seats and special representation to cease after fifty years) .....	141
335. सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे (Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts) .....	142
336. कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबन्ध (Special provision for Anglo-Indian community in certain services) .....	142
337. आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबन्ध (Special provision with respect to educational grants for the benefit of Anglo-Indian community) .....	142
338. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) .....	142
338क. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes) .....	143
339. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियन्त्रण (Control of the Union over the Administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes) .....	144
340. पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति (Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes) .....	145
341. अनुसूचित जातियां (Scheduled Castes) .....	145
342. अनुसूचित जनजातियां (Scheduled Tribes) .....	145

## भाग 17 (Part XVII)

## राजभाषा (OFFICIAL LANGUAGE)

## अध्याय 1 : संघ की भाषा (LANGUAGE OF THE UNION)

343. संघ की राजभाषा (Official language of the Union) .....	146
344. राजभाषा के सम्बन्ध में आयोग और संसद की समिति (Commission and Committee of Parliament on official language) .....	146

## अध्याय 2—प्रादेशिक भाषाएँ (REGIONAL LANGUAGES)

345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ (Official language or languages of a State) .....	147
346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा (Official language for communication between one State and another or between a State and the Union) .....	147
347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध (Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State) .....	147

अध्याय 3—उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आदि की भाषा  
(LANGUAGE OF THE SUPREME COURT, HIGH COURTS, ETC.)

348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा (Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc.) .....	147
349. भाषा में सम्बन्धित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया (Special procedure for enactment of certain laws relating to language) .....	148

## अध्याय 4—विशेष निर्देश (SPECIAL DIRECTIVES)

350. व्याप्ति के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा (Languages to be used in representations for redress of grievances) .....	148
350ए. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ (Facilities for instruction in mother-tongue at primary stage) .....	148
350ट. भाषाएँ अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी (Special Officer for linguistic minorities) .....	148
351. हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश (Directive for development of the Hindi language) .....	148

## भाग 18 (Part XVIII)

## आपात उपबन्ध (EMERGENCY PROVISIONS)

352. आपात की घोषणा (Proclamation of Emergency) .....	149
353. आपात की घोषणा का प्रभाव (Effect of Proclamation of Emergency) .....	151
354. जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण सम्बन्धी उपबन्धों का लागू होना (Application of provisions relating to distribution of revenues while a Proclamation of Emergency is in operation) .....	151
355. वाह्य आक्रमण और आन्तरिक अशान्ति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य (Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance) .....	151
356. राज्यों में सांविधानिक तन्त्र के विफल हो जाने की दशा में उपबन्ध (Provisions in case of failure of constitutional machinery in States) .....	151
357. अनुच्छेद 356 के अधीन की गई घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग (Exercise of legislative powers under Proclamation issued under Article 356) .....	153
358. आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबन्धों का निलम्बन (Suspension of provisions of Article 19 during emergencies) .....	153
359. आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलम्बन (Suspension of the enforcement of the Rights conferred by Part III during emergencies) .....	154
359ए. [निरापत्ति] (Repealed) .....	154
360. वित्तीय आपात के बारे में उपबन्ध (Provisions as to financial emergency) .....	154

## भाग 19 (Part XIX)

## विविध (MISCELLANEOUS)

361. राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण  
(Protection of President and Governors and Rajpramukhs) ..... 37
- 361क. संसद और राज्यों के विधानमण्डलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण  
(Protection of publication of proceedings of Parliament and State Legislatures) ..... 37
- 361ख. लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति हेतु निरहता  
(Disqualification for appointment on remunerative political post) ..... 37
362. [निरसित] (Repealed.) ..... 37
363. कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन  
(Bar to interference by courts in disputes arising out of certain treaties, agreements, etc.) ..... 37
- 363क. देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अन्त  
(Recognition granted to Rulers of Indian States to cease and privy purses to be abolished) ..... 37
364. महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबन्ध  
(Special provisions as to major ports and aerodromes) ..... 37
365. संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव  
(Effect of failure to comply with, or to give effect to, directions, given by the Union) ..... 37
366. परिभाषाएं (Definitions) ..... 37
367. निर्वचन (Interpretation) ..... 37

## भाग 20 (Part XX)

## संविधान का संशोधन (AMENDMENT OF THE CONSTITUTION)

368. संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया  
(Power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefor) ..... 16

## भाग 21 (Part XXI)

## अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध

## (TEMPORARY, TRANSITIONAL AND SPECIAL PROVISIONS)

369. राज्यसूची के विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों (Temporary power to Parliament to make laws with respect to certain matters in the State List as if they were matters in the Concurrent List) ..... 171
370. जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध  
(Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir) ..... 171
371. महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध  
(Special provision with respect to the States of Maharashtra and Gujarat) ..... 171
- 371क. नगालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध  
(Special provision with respect to the State of Nagaland) ..... 172
- 371ख. असम राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध (Special provision with respect to the State of Assam) ..... 174
- 371ग. मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध  
(Special provision with respect to the State of Manipur) ..... 174
- 371घ. आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध  
(Special provision with respect to the State of Andhra Pradesh) ..... 175
- 371ङ. आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना  
(Establishment of Central University in Andhra Pradesh) ..... 176
- 371च. सिक्किम राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध  
(Special provision with respect to the State of Sikkim) ..... 176

अनुच्छेद	पृष्ठ
371छ. मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपवन्ध (Special provision with respect to the State of Mizoram).	178
371ज. अस्माईचल प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपवन्ध (Special provision with respect to the State of Arunachal Pradesh) .....	178
371झ. गोवा राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपवन्ध (Special provision with respect to the State of Goa) .....	178
371ज. कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपवन्ध (Special provision with respect to the State of Karnataka) .....	179
372. विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन (Continuance in force of existing laws and their adaptation) .....	179
372क. विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति (Power of the President to adapt laws) .....	179
373. निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति (Power of President to make order in respect of persons under preventive detention in certain cases) .....	180
374. फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मजेस्टी के समक्ष लम्हित कार्यवाहियों के बारे में उपवन्ध (Provisions as to the Judges of the Federal Court and proceedings pending in the Federal Court or before His Majesty in Council) .....	180
375. संविधान के उपवन्धों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना (Courts, authorities and officers to continue to function subject to the provisions of the Constitution) .....	180
376. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपवन्ध (Provisions as to the Judges of High Courts) .....	180
377. भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपवन्ध (Provisions as to the Comptroller and Auditor-General of India) .....	181
378. लोक सेवा आयोगों के बारे में उपवन्ध (Provisions as to Public Service Commissions) .....	181
378क. आन्ध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपवन्ध (Special provision as to duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly) .....	181
379-391. [निरसित] (Repealed.) .....	181
392. कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति (Power of the President to remove difficulties) .....	181

### भाग 22 (Part XXII)

#### संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन

(SHORT TITLE, COMMENCEMENT, AUTHORITATIVE TEXT IN HINDI AND REPEALS)

393. संक्षिप्त नाम (Short title) .....	182
394. प्रारम्भ (Commencement) .....	182
394क. हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ (Authoritative text in the Hindi language) .....	182
395. निरसन (Repeals) .....	182

### अनुसूचियां (SCHEDULES)

● पहली अनुसूची (First Schedule)	183
1. राज्य (The States) .....	186
2. संघ राज्यक्षेत्र (The Union Territories) .....	
● दूसरी अनुसूची (Second Schedule)	
भाग (क) — गणपति और गज्यों के गज्यपालों के बारे में उपवन्ध	
Part A — Provisions as to the President and the Governors of States .....	187
भाग (ख) — (निरसित)	
Part B — (Repealed) .....	188
भाग (ग) — लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा गज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधानपरिषद् के सभापति और उपसभापति के बारे में उपवन्ध	

Part C	— Provisions as to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People and the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States and the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council of a State .....	188
भाग (घ)	— उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपवन्ध	188
Part D	— Provisions as to the Judges of the Supreme Court and of the High Courts .....	189
भाग (ङ)	— भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के बारे में उपवन्ध	189
Part E	— Provisions as to the Comptroller and Auditor-General of India .....	190
● तीसरी अनुसूची	: शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप	190
Third Schedule	: Forms of Oaths or affirmations .....	
● चौथी अनुसूची	: गज्यसभा में स्थानों का आवंटन	192
Fourth Schedule	: Allocation of seats in the Council of States .....	
● पांचवीं अनुसूची	: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियन्त्रण के बारे में उपवन्ध	192
Fifth Schedule	: Provisions as to the Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes .....	193
भाग (क) — साधारण	.....	193
Part A — General	.....	
भाग (ख) — अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियन्त्रण	.....	193
Part B — Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes	.....	
भाग (ग) — अनुसूचित क्षेत्र	.....	194
Part C — Scheduled Areas.....		
भाग (घ) — अनुसूची का संशोधन	.....	194
Part D — Amendment of the Schedule	.....	
● छठी अनुसूची	: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपवन्ध	195
Sixth Schedule	: Provisions as to the Administration of Tribal Areas in the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram .....	195
● सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) .....		
सूची 1	: संघ सूची	196
List I	: Union List .....	
सूची 2	: राज्य सूची	196
List II	: State List .....	
सूची 3	: समवर्ती सूची	197
List III	: Concurrent List .....	
● आठवीं अनुसूची	: भाषाएं	197
Eighth Schedule	: Languages .....	
● नौवीं अनुसूची	: कठिनपय अधिनियमों एवं विधियों की वैधता	200
Ninth Schedule	: Validation of certain Acts and Regulations .....	
● दसवीं अनुसूची	: दल परिवर्तन के आधार पर निरहता के बारे में उपवन्ध	200
Tenth Schedule	: Provisions as to disqualification on the ground of defection .....	
● एारहवीं अनुसूची	: पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व	200
Eleventh Schedule	: Powers, authority and responsibilities of Panchayats .....	
● बारहवीं अनुसूची	: नगरपालिकाओं, इल्याद की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व	200
Twelfth Schedule	: Powers, authority and responsibilities of Municipalities, etc .....	
परिशिष्ट (Appendix)	.....	
● बस्तुनिष्ठ प्रश्न	Objective Questions .....	200